

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम आंचलिक कार्यालय ने इंद्रजीत सिंह और अन्य के मामले में चल रही जांच के सिलसिले में अपोलो ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (पूर्व में अपोलो इंटरनेशनल लिमिटेड) के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी/अध्यक्ष- रणनीतिक पहल और अपोलो समूह के एक प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति राकेश गुप्ता को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 07.07.2026 को गिरफ्तार किया है। उनकी गिरफ्तारी विशेष पीएमएलए कोर्ट, गुरुग्राम द्वारा उनके खिलाफ चार समन का अनुपालन न करने और गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी करने के बाद की गई। उन्हें विशेष पीएमएलए कोर्ट, गुरुग्राम के समक्ष पेश किया गया और माननीय न्यायाधीश ने उन्हें 05 दिनों के लिए ईडी हिरासत में भेज दिया है।

ईडी ने हरियाणा पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा इंद्रजीत सिंह और उसके सहयोगियों के खिलाफ शस्त्र अधिनियम, 1959, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 और भारतीय दंड संहिता, 1860 के विभिन्न प्रावधानों के तहत दर्ज की गई 15 से अधिक एफआईआर और दायर किए गए आरोप पत्रों के आधार पर जांच शुरू की है। उक्त एफआईआर में यह आरोप लगाया गया है कि मेसर्स जेम रिकॉर्ड्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड (जेम्स ट्यून्स के रूप में काम कर रही) का मालिक और प्रमुख नियंत्रक इंद्रजीत सिंह एक जाना-माना बाहुबली है जो हत्या, जबरन वसूली, निजी वित्तदाताओं द्वारा दिए गए ऋणों के जबरन निपटान, धोखाधड़ी, जालसाजी, अवैध भूमि हड़पने और हिंसक अपराधों जैसी आपराधिक गतिविधियों में शामिल है। इंद्रजीत सिंह हरियाणा पुलिस के विभिन्न मामलों में वांछित है और वर्तमान में फरार है और यूएई से काम कर रहा है।

ईडी की जांच से पता चला है कि अपोलो ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और अन्य जैसे कुछ कॉर्पोरेट घरानों ने कथित तौर पर दिघल, झज्जर में स्थित निजी वित्तदाताओं से भारी निजी ऋण लिया और सुरक्षा के रूप में पोस्ट-डेटेड चेक जारी किए। जांच में यह भी पता चला कि इंद्रजीत सिंह एक बाहुबली और प्रवर्तक के रूप में काम करता था, जिसने विदेशों से संचालित संगठित अपराध सिंडिकेट की भागीदारी के साथ धमकियों, डराने-धमकाने और सशस्त्र सहयोगियों/स्थानीय सशस्त्र गिरोहों के उपयोग के माध्यम से सैकड़ों करोड़ रुपये के इन उच्च मूल्य वाले निजी ऋण विवादों के जबरन निपटान की सुविधा प्रदान की। इंद्रजीत सिंह को दिघल स्थित एक फाइनेंसर की हत्या में शामिल होने के लिए भी नामित किया गया है और वह कथित तौर पर उस मामले में फरार है। आगे की जांच से पता चला कि मेसर्स अपोलो ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने निजी वित्तपोषकों से 200 करोड़ रुपये से अधिक उधार लिए थे और बाद में मूलधन और ब्याज दोनों के पुनर्भुगतान में चूक की थी। राकेश गुप्ता ने इंद्रजीत सिंह को अपोलो ग्रुप से परिचित कराया और उनकी सेवा ली, जिसके कारण ऋण का जबरन निपटान हुआ और एक फाइनेंसर की हत्या का आरोप लगा।

इस मामले में पहले भी ईडी ने विभिन्न परिसरों में तलाशी अभियान चलाया था, जिसके परिणामस्वरूप 6.41 करोड़ रुपये की नकदी, 17.4 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य के आभूषण और 05 लगजरी वाहन जब्त किए गए थे। इसके अलावा, निदेशालय ने 90.04 करोड़ रुपये (लगभग) की संपत्ति को कुर्क किया है और विशेष पीएमएलए कोर्ट, गुरुग्राम के समक्ष अभियोजन शिकायत दर्ज की है।

आगे की जांच जारी है।